परिशिष्ट-1

आवेदन-सह-घोषणा पत्र

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष.....) हेतु

1. व्यक्तिगत विवरण

1	आवेदक / आवेदिका का नाम :						
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या,	/दिनांक) :					
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :						
4	जन्म तिथि :–		5	लिंग 📗	पुरूष()	महिला ()	ट्रांसजेंडर ()
6	जाति*		7	धर्म :			
8	आवासीय पता :—						
(क)	स्थाई पता :— गाँव / मुहल्ला			प्रखण्ड		डाकघर	
(47)	थानाअनुमण्डल	जिला		पि	न	राज्य	
। (ख)	वर्त्तमान पता :-गाँव/मुहल्ला			प्रखण्ड		डाकघर	
(ಆ)	थानाअनुमण्डल	जिला		······	पिन	राज्य ়	
9	पिता का नाम :-		10	पिता की जा	ति :-		
11	माता का नाम :						
12	पति का नाम :		13	पति की जाति	ते :—		

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :--

क्र0स0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	<u>PAN</u>
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष......में सभी स्नोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :—

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों / शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़कर) :--

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय फ्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू—खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू—खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

में यह घोषणा करता / करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मुझे प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

- * आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
- ** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति / पत्नी, उसके माता—पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई—बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट-2

आवेदक के अवयस्क होने की स्थिति में आवेदक के माता-पिता के द्वारा अपनी संतान के आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष) हेतु आवेदन-सह-घोषणा पत्र

	$\overline{}$	\triangle	/		
1	व्यक्तिगत	IddaAnl	(अवसस्क	ਨਹ)	· :—
	11-101 101	1-1-1	(0177177	C \1/	

1	आवेदक / आवेदिका का नाम :					
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या / दिनांक) :					
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :					
4	जन्म तिथि :	5	लिंग	पुरूष()	महिला ()	ट्रांसजेंडर ()
6	जाति* :–	7	धर्म :			
8	आवासीय पता :					
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला		प्रखण्ड		डाकघर	
(47)	थाना अनुमण्डल जिला			पिन	राज्य	
(ख)	वर्त्तमान पता :- गाँव / मुहल्ला		प्रखण्ड		डाकघर	
(ಆ)	थाना अनुमण्डल जिला			पिन	राज्य	
9	पिता का नाम :-	10	पिता की जा	ति :-		
11	माता का नाम :			•		

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :--

क्र0स0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	<u>PAN</u>
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष........ में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :--

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों / शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़कर) :--

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय फ्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू—खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू—खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मेरे पुत्र / पुत्री को प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

- आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
- ** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति / पत्नी, उसके माता—पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई—बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

पिता / माता का हस्ताक्षर	
(पिता / माता का नाम :	
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)	

परिशिष्ट–3

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता सत्यापन संबंधी आवेदन

(दो प्रतियों में)

सेवा में,	,
	·
महाशय,	(संस्थान/कार्यालय का नाम) द्वारा
	सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ
है। संबंधित संस्थान/कार्यालय के मांग पत्र की	9
·	ों का अवलोकन कर मेरे पक्ष में 'तत्काल सेवा' का लाभ
प्राप्त करने हेतु सत्यापन निर्गत करने की कृपा	की जाय।
अनु0—यथोक्त।	
	विश्वासभाजन,
	आवेदक का हस्ताक्षर
स्थान—	नाम—
दिनांक—	पिता / पति का नाम—
	स्थायी पता–
	\
	मोबाईल नं0—
(कार्यालय	द्वारा भरा जायेगा)
	ज्ञापांक—
कार्यालय का नाम—	दिनांक—
	हेतु अर्हता का सत्यापन ————————————————————————————————————
	माण पत्र के लिए तत्काल सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में
	पिता / पति का नाम
	के द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा
उसके साथ अनुलग्न संबंधित संस्थान/कार्याव	त्रय के एतद् सम्बन्धी ज्ञापन/दस्तावेज का अवलोकन
किया।	
इनका आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुध	ार तथा राजभाष विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक—
देनांक— में	वर्णित प्रावधान के आलोक में 'तत्काल सेवा' अन्तर्गत
प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्वीकार करने योग्य	
on the first first extraction of the first state of	
	सत्यापन करनेवाले पदाधिकारी
	का हस्ताक्षर (मुहर सहित)
	नाम—
	पदनाम—

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 11) प्रमाण पत्र हेतु

		पिता				
	हूँ और मैं/मेरे पूवर्ज दिना	क—10.08.1950(अ.ज.)	/ 06.09.1950 (अ.ज.	ज.) / 10.11.1978	(अत्यन्त पिछ	डा वर्ग / पिछडा
	वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड रा	ज्य की भौगोलिक सीग	ना में अवस्थित पते—ग	ॉव / मुहल्ला		
	प्रखण्ड					अनुमण्डल
	जिला	पिन कोड	राज्य	निवासित		
	Allowed A. Table		अथवा.		1000	
	#		पिता		राज्य	***************************************
	का / की मूल निवासी हूँ औ	र मैं / मेरे पूर्वज व्यवस	ाय/पेशा/ आजीवि	का/अन्य प्रयोजन	हेतु आव्रजित	होकर झारखण्ड
	राज्य में वर्ष से					
	मैं भारत का / की नागरिक ह	美1				
2.	मेरा आधार नं0 (यदि हो तो)) :-				
3.	मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो त	गे) :-				
	* *		-			
4.	मैं गाँव / मुहल्लाअनुमण्ड		प्रसक्त ।		डाकधर	थाना
	अनुमण्	કલ	પિલી	14न काड		राज्य
	क पत पर स	ग्रधारणतः निवास करत	11 61			
	मैंने अनुसूचित जाति/अनुस	प्रशिव जनजाति / यह	ਜ਼ੁਰੂ ਜ਼ੁਰੂ ਬਿਲਦਾ ਰਹੀ /ਬਾ	ਜੁਹਾਜੀ-।\ / ਪਿੱਝਨਤਾ	तर्ग (अन्यर्ग	ो-11) कोटि की
3.	उपजाति	के प्रमाण पत्र के	तिए आवेटन समर्पित	किया है जो कि	द्यारखण्ड रा	ज्य में अनसचित
	जाति / अनुसूचित जनजाति					
	omay organia organia) okaki 1400i 44	(013/241-1)) 11001	4.1 (0133241-11)	4016 40 101	i dana o
6.	मैं प्रमाणित करता/करती	हूँ कि मैं मौजा		रवाला संरथा	ਯਗੱਟ	संख्या
	पंचायत / वार्ड	के खतियानी रैयत	THAT WATER OF THE PARTY OF THE	का / की	ř.	
	पंचायत / वार्ड खतियानी रैयत का नाम		(हाल स	वर्वे / साबिक सर्वे*)	सर्वे वर्षे :-	
				· ·		
	प्रथम पीढ़ी					
	+					
	→					
	तृतीय पीढी	1000				
	चतुर्थ पीढ़ी					
	* जो लागू न हो उसे व	ਗਟ ਵੇਂ।				
7	मैं/मेरा परिवार झारखण्ड रा		र निवासित है अभवा	ਮੁਸ਼ਿਫ਼ੀਜ਼ ਵੇਂ ਲਾਗ	मदो टेम के वि	केसी अन्य गान
					त्रेया चरा चरा	detti oled tine
	से आरक्षण का लाम प्राप्त क	रन हतु जात प्रमाण	पत्र ।नगत नहां किया	141 81		

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन / नामांकन / आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रदद करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

 इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेंगा।

2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्यजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वधोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण-पत्र हेतु

н		पिता	झारखण्ड	राज्य का / की उक्षा
निवासी हैं और मैं/मेरे वर्ग/पिछड़ा वर्ग) कें थाना अ	पूवर्ज दिनांक—10.08.1950 पूर्व से झारखण्ड रा) (अ.ज.) / 06.09.195 ज्य की भौगोलिक	50 (31,-ज _॰)/10.11 ਦੀਸ਼। ਸੇਂ ਪਰਵਿ	.1978 (अत्यन्त पिछड् १त एते गाँव / महस्त्र
थाना अ	नुमण्डल	जिला	पिन कोड	Jiran
निवासित हूँ/	रहे हैं।	(1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	14.7.476	- Klod
		अथवा,		
Ť		पिता		arran
का / की मूल निवासी हूँ / है झारखण्ड राज्य में वर्ष	हैं और मैं / मेरे पूर्वज व्यवर	गय / पेशा / आजीविक	ग/अन्य प्रयोजन हेतु	आव्रजित होकर
मैं भारत का / की नागरिक मेरा आधार नं0 (यदि हो तो मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो	r) :			
मैं गाँव/मुहल्ला अनुमण	5	प्रखण्ड	डाकघर	थाना
अनुमण पर सामान्य/स्थ	डल	जिला	पिन	राज्य
मैंने अपने पुत्र/पुत्री (अनुसूची-I)/पिछडा वर्ग	(अनुसुची-॥) कोटि की उ	के लिए अनुसूर्ग उपजाति	चेत जाति/जनजाति	/अत्यत पिछडा वर्ग एव के टिप्प आर्थेक
मैंने अपने पुत्र/पुत्री (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग । समर्पित किया है, जो कि इ (अनुसूची-11) के रूप में सूर्च	(अनुसूची-II) कोटि की उ प्रारखण्ड राज्य में अनुसूचि विद्य है।	के लिए अनुसूर्व उपजाति उत जाति/जनजाति	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अ	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री (अनुसूची-I)/पिछडा वर्ग । समर्पित किया है, जो कि इ	(अनुसूची-II) कोटि की उ प्रारखण्ड राज्य में अनुसूचि विबद्ध है। के खतियानी रैयत	के लिए अनुसूर्ग उपजाति उत जाति/जनजाति ः खाताः	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अ	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री	(अनुसूची-II) कोटि की उ हारखण्ड राज्य में अनुसूचि विबद्ध है। ूँ कि मैं मौजा के खतियानी रैयत के मामले में लागू नहीं है	के लिए अनुसूर्ग उपजाति इत जाति/जनजाति : खाता : त	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछडा वर्ग (अ संख्या का/की	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री	(अनुसूची-II) कोटि की उ ज्ञारखण्ड राज्य में अनुसूचि वेबद्ध है। हैं कि मैं मौजा के खतियानी रैयत के मामले में लागू नहीं है	के लिए अनुसूर्ग उपजाति इत जाति/जनजाति : खाता : त	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछडा वर्ग (अ संख्या का/की	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री	(अनुसूची-II) कोटि की उ ज्ञारखण्ड राज्य में अनुसूचि वेबद्ध है। हैं कि मैं मौजा के खतियानी रैयत के मामले में लागू नहीं है	के लिए अनुसूर्ग उपजाति इत जाति/जनजाति : खाता : त	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछडा वर्ग (अ संख्या का/की	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री	(अनुसूची-II) कोटि की उ ज्ञारखण्ड राज्य में अनुसूचि वेबद्ध है। हैं कि मैं मौजा के खतियानी रैयत के मामले में लागू नहीं है	के लिए अनुसूर्ग उपजाति इत जाति/जनजाति : खाता : त	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछडा वर्ग (अ संख्या का/की	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री	(अनुसूची-II) कोटि की उ ज्ञारखण्ड राज्य में अनुसूचि वेबद्ध है। हैं कि मैं मौजा के खतियानी रैयत के मामले में लागू नहीं है	के लिए अनुसूर्ग उपजाति इत जाति/जनजाति : खाता : त	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछडा वर्ग (अ संख्या का/की	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग
मैंने अपने पुत्र/पुत्री	(अनुसूची-II) कोटि की उ हारखण्ड राज्य में अनुसूचि विद्य है। हैं कि मैं मौजा के खतियानी रैयत के मामले में लागू नहीं है	के लिए अनुसूर्ग उपजाति इत जाति/जनजाति : खाता : त	चेत जाति/जनजाति के प्रमाण अत्यंत पिछडा वर्ग (अ संख्या का/की	/अत्यत पिछड़ा वर्ग पत्र के लिए आवेदन ानुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग

5. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाम प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रदद करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

नोट :-

 इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।

2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-।) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-।।) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (क्रीमीलेयर रहित)

	并	पिता	झारखण्ड	राज्य की/के स्थाई
	निवासी हूँ / हैं और मैं / मेरे पूवर्ज वि में) / दिनांक—15.03.1993 (अन्य पिछ	रेनांक-10.11.1978 (अत्यन्त पिछड्	। वर्ग, अनुसूची।/पिछडा वर	र्ग, अनुसूची।। के मामले
	गाँव / महल्ला	प्रखण्ड	डाकघर	
	थाना अनु	ाण्डल जिल	п पिन	। कॉड
	राज्य निवासित	न हूँ ∕ रहे हैं।		
		अथवा.		
	书		ਗ	
	राज्य की / के मूल आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में	निवासी हूँ / हैं और मैं / मेरे पूर्वर	न व्यवसाय/पेशा/ आजीवि	lका/अन्य प्रयोजन हेतु
	मैं भारत का/की नागरिक हूँ।			
	मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) -			
3.	मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :		₽ 52°	212.117
4.	मैं गाँव/मुहल्ला थाना अनुमण्डल	Per Again	पिन	डाकघर राज्य के
	याना अनुमण्डल पते पर साधारणः निवास करता/क	रती हूँ।	1971	1004
5.	मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी० जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवे (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूर्व	दन समर्पित किया है, जो कि १	गरत सरकार/झारखण्ड राज	ll) के ज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग
6.	मेरे माता / पिता में से कोई भी भा सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष् पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा	ष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं वि	राक्षण संस्थान की सेवा में 3	के पद पर अथवा भारत अथवा ग्रुप ए के समकक्ष
7.	मेरे माता और पिता (जो लागू न बी/क्लास II के पद पर अथवा भ एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अध	गरत सरकार/झारखण्ड सरकार	के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्री	सरकार के अधीन ग्रुप विकृत बैंक, बीमा कंपनी
8.	मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिव	ह आय रुपये	है।	
9.	मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक	5 आय रुपये	हैं।	
10	मेरे माता / पिता की अन्य स्रोत से	व्यापार / व्यवसाय सहित कुल वारि	र्वक आय रुपये	है।

. मैं प्रमाणित करता हूँ	कि मैं, मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
पंचायत / वार्ड	के खतियानी रैयत		का/की	ξl
प्रथम पीढ़ी	नाम		सर्वे*) सर्वे वर्षः –	
तृतीय पीढ़ी				
 जो लागू न ह 13. मैं / मेरा परिवार । लाभ प्राप्त करने । 	ो उसे काट दें। झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं वि	निवासित हैं तथा मुझें केया गया है।	देश के किसी अन्य राज	ज्य से आरक्षण व
जाती है तो इसके	गाणित करता ∕ करती हूँ कि उपर्यु आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र रदद करते हुए धारा 193 मा०द०	व के आधार पर प्राप्त	मेरा नियोजन/नामांकन,	/आरक्षण से प्राप

नोट :--

इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए रवघोषणा हेतु किया

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के माता/पिता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ॰बी॰सी॰)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के निमित्त क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र हेतु

	Ħ		. पिता		झारखण्ड राज्य	का / की स्थाई
	निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज में)/दिनांक—15.03.1993 (अ	दिनांक-10.11.19	78 (अत्यन्त पिछड़ा व	र्ग, अनुसूची-I /पि	छिडा वर्ग, अनुसूचे	i—II के मामले
गाँव / मुहल्ला		The second secon		प्रखण्ड	-10000000000	1985
3	डाकघर	थाना	अनुमण्डल	İ .	जिला	पिन
	कोड राज्य	F	नेवासित हूँ / रहे हैं।			
			अथवा,			
	मैं / मेरे पिता	राज्य	का / के मल निवा	सी हॅं/हैं और	मैं / मेरे पूर्वज व्य	वसाय/पेशा/
	आजीविका/अन्य प्रयोजन हे	त आवजित होकर	झारखण्ड राज्य में वर्ष	से लग	ातार निवासित हैं/	(音)
	onomidany of a sater i e	g similari ciri	40.5		Ev.	
1	मेरा / मेरी पुत्र / पुत्री भारत व	n / की नागरिक है	1			
	मेरा आधार नं0 (यदि हो तो)					
3.	मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तं	r) :-				
	में गाँव / महल्ला		प्रखण्ड		डाकघर	্থানা
	अनुमण्डल		जिला	पिन	राज्य	के पते पर
	साधारणतः निवास करता हूँ।					
5.	मैंने अपने पुत्र/पुत्री		ē	ह अन्य पिछड़ा व	। (आव्बाव्साव)/	अत्यन्त ।पछड़ा
	वर्ग (अनुसूची-1)/पिछडा व	ग (अनुसूचा-11) व	b	जाति के प्रमाण पः	त्र क ।लए आवदन । वर्ग (शक्कानी 1)	अभावत विकर
	है, जो कि भारत सरकार /	झारखण्ड राज्य म	अन्य ।पछडा वर्ग (अ	।०बा०सा०)\ ।पछन <u>्</u>	वन (अनुसूधा-1)	जनमा निष्य
	वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में	सूचावक है।				
6.	मेरे माता/पिता में से कोई	भी भारत सरका	र/झारखण्ड सरकार	के अधीन ग्रुप ए/	क्लास । के पद प	र अथवा भारत
	सरकार के सार्वजनिक उपव	हम, राष्ट्रीयकृत बै ं	क, बीमा कंपनी एवं हि	राक्षण संख्यान की	सेवा में अथवा ग्रुप	ए के समकक्ष
	पद पर गैरसरकारी सेवा में	अथवा किसी संवैध	ानिक पद पर नहीं हैं।			
7	मैं/मेरी पत्नी/दोनों (जो ल	गा न हो जसे क	ाट हैं) भारत सरकार	/ ड्यारखण्ड सरकार	र के अधीन ग्रंप ब	ो / क्लास ॥ वे
10	पद पर अथवा भारत सरकार	/ डारिखण्ड सरक	ार के सार्वजनिक उपर	_{कम,} राष्ट्रीयकत बैंक	, बीमा कंपनी एवं	शिक्षण संस्थान
	की सेवा में अथवा ग्रुप बी व	हे समकक्ष पद पर	गैरसरकारी सेवा में ना	हीं हैं।		
8.	मैं / मेरी पत्नी / दोनों की वेत	नन से वार्षिक आय	रुपया		5 1	
0	मैं/मेरी पत्नी/दोनों की कृ	षि से वार्षिक आय	रुपया	1	ŝ 1	
					7660	4
10.	मैं/मेरी पत्नी/दोनों का अ	न्य स्रोतों से व्यापा	र/व्यवसाय सहित कुर	ल वार्षिक आय रुप	ar	है।

निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित में प्रमणित करता हैं कि मैं मौजा		
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा पंचायत/वार्ड के खतियानी	रैयत	का/की हैं।
खतियानी रैयत का नाम	(हाल सर्वे / साबिक सर्वे	*) सर्वे वर्षः –
प्रथम पीढी	energy (
हितीय पीढ़ी	20000	
तृतीय पीढ़ी		
चतुर्थ पीढ़ी		
* जो लागू न हों उसे काट दें।		
मामले में लागू नहीं है।)		30 SASE SASE
200 Page 100	ाति प्रमाण पत्र के अ	सत्य है। अगर कोई सूचना गलत पार्य ह्यार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री क ह्यारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंग
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त ज नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुवि	ाति प्रमाण पत्र के अ धाओं को रदद करते हुए	ाधार पर प्राप्त मरे पुत्र/पुत्रा व
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त ज नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुवि	ाति प्रमाण पत्र के अ घाओं को रदद करते हुए आवेदक के ि	ाधार पर प्राप्त मेर पुत्र/पुत्रा व धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंग
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त ज नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुवि धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।	ाति प्रमाण पत्र के अ धाओं को रदद करते हुए आवेदक के ि (पिता/माता का नाम	ाधार पर प्राप्त मर पुत्र/पुत्रा व धारा 193 मा०द०वि० एवं अन्य सुसंग पेता/माता का हस्ताक्षर
मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त ज नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुवि धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।	ाति प्रमाण पत्र के अ धाओं को रदद करते हुए आवेदक के ि (पिता/माता का नाम	ाधार पर प्राप्त मेर पुत्र/पुत्रा व धारा 193 माठदेठविठ एवं अन्य सुसंग पेता/माता का हस्ताक्षर ————————————————————————————————————

क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—प	गत्र के साथ समर्पित किया
जाएगा)	
में पिता	
पति / पत्नी निवासी, ग्राम / कस्बा / श	हर
थानाथा	
अंचल राज्य	
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं	
समुदाय का / की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्र	गलय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के	कार्यालय ज्ञापन संख्या-
360112/22/93 स्था० (एस०सी०टी०)/झारखण्ड राज्य के संकल्प सं	0, दिनांक
में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण	के प्रयोजन से भारत
सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वग	र्ग (अनुसूची—I) / पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची—II) के रूप में मान्य है।	
2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अं	
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संख्या–दिनांक दिनांक	निर्गत है।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि विगत तीन	वित्तीय वर्ष के दौरान मेरे
माता-पिता की वार्षिक आय आठ (8) लाख रुपये से कम होने के व	कारण मैं क्रीमीलेयर में नहीं
आता / आती हूँ।	
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पित	
13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के	कॉलम-3 में उल्लिखित
व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।	
5. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी	उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत
पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक	न सुविधाओं को रद्द करते
हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरू	द्ध कानूनी कार्रवाई की जा
सकती है।	
आवेदक/आवेदिका	(घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपन्न सं0—1754, दिनांक—25.02.2019 के आलोक में जाति निर्धारण हेतु स्थानीय जांच हेतु शपथ पत्र का आदर्श प्रारुप

(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं	
वर्तमान में ग्राम/ शहर पोस्ट पोस्ट	थाना
प्रखण्डअनुमंडल	जिला
राज्य में निवास करता / करती हूँ।	
2. मैं / मेरे पूर्वज वर्ष से ग्राम / शहर	पोस्ट
, थाना, प्रखण्ड	, अनुमंडल
राज्य निवासित रहे है।	में स्थायी रुप से
3. मेरे पिता की जातिहै, जो झारखण्ड र जनजाति / अनुसूचित जाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1) / पिछड़ा अथवा झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है।	ाज्य की अनुसूचित वर्ग (अनुसूची–2)
4. मुझे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण सं0—1754, दिनांक—25.02.2019 की कंडिका—13 के आलोक में स्थानीय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि:—	ड, राँची के परिपत्र जाँच के माध्यम से
(क) मैं / मेरे पूर्वज के पास भू—अभिलेख / रेकर्ड ऑफ राइट्स / भूमि निबंध	न कागजात नहीं है।
(ख) मैं / मेरे पूर्वज के भू-अभिलेख / रेकर्ड ऑफ राइट्स / भूमि निबंधन जाति में संशय की स्थिति है।	
ALL STATES AND	

- (ग) मैं / मेरे पूर्वज भूमिहीन हैं। (जो लागू न हों, उसे काट दिया जाय।)
- 5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं। भविष्य में मुझे निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में इसे मेरे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति / पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार / सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए मेरे विरुद्ध आपराधिक षड़यन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से मुझे वंचित किया जा सकेगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर